संख्या-14 /2021/127/कनिप्र/26-3-2021-20(65)/2020

प्रेषक,

राज रतन,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांक: 18 मार्च,2021
समाज कल्याण विभाग

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक,समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश के पत्रांक-185-86/ स0क0/विकास/बस्ती-सबप्लान/(09)/ 2020-21 दिनांक 24 जुलाई,2020 एवं पत्रांक-565-66/ स0क0/ विकास/संतकबीर नगर-सब प्लान/(22)/ 2020-21 दिनांक 11 नवम्बर,2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद बस्ती के विकास खण्ड-रामनगर, परसरामपुर, दुबौलिया, बस्ती सदर एवं बहादुरपुर के कुल 05 गांव एवं जनपद संतकबीर नगर के विकास खण्ड खलीलाबाद के 03 गांवों में कार्य कराये जाने के संबंध में कुल आगणित लागत के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल रू0 287.93 लाख (रू0 दो करोड़ सत्तासी लाख तिरानबे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की धनराशि स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र. स.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम की कुल आबादी में अनुसूचित जाति आबादी का प्रतिशत	कार्य का नाम	प्राक्कलन लागत (लाखरू0)	प्रथम किश्त हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख रू0)
1.	बस्ती	रामनगर	अचलपुर	52.69	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	50.00	25.00
2.	बस्ती	परसरामपुर	निगनिया	60.62	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	50.00	25.00
3.	बस्ती	दुबौलिया	कठौतिया	99.19	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	50.00	25.00
4.	बस्ती	बस्ती सदर	सलवाहनपुर	72.04	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	50.00	25.00
5.	बस्ती	बहादुरपुर	डुहवा	61.48	सी.सी.रोड एवं नाली निर्माण।	50.00	25.00
					योग-अ	**250.00**	**125.00**
6.	संतकबीर नगर	खलीलाबाद	दरूआजप्ती माफी	50.00	दरूआजप्ती माफी के अवशेष मार्ग पर पिच रोड निर्माण कार्य	**39.58**	**19.79**
7.	संतकबीर नगर	खलीलाबाद	सवेचक	50.00	ग्राम सवेचक में अनुसूचित जाति बस्ती में मुख्य मार्ग पर पिच रोड़ निर्माण कार्य।	**118.13**	**59.00**
8.	संतकबीर नगर	खलीलाबाद	घटरम्हा	50.00	ग्राम घरम्हा के अवशेष मार्ग पर पिच रोड़ एवं इंटरलाकिंग का निर्माण कार्य।	**168.28**	**84.14**
					योग- ब	**325.99**	**162.93**
					कुल योग-(अ+ब)	**575.99**	**287.93**

(रू. दो करोड़ सत्तासी लाख तिरानबे हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शर्ते/प्रतिबन्ध:-

1- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।

2- निदेशक,समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) से शीघ्र एम.ओ.यू. अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपलब्ध कराई जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण कराते हुए प्रश्नगत धनराशि के सापेक्ष कार्यो को पूर्ण कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निदेशक समाज कल्याण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- प्रश्नगत धनराशि को निर्गत किये जाने के संदर्भ में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020-बी-1-149-दस/2020-231/2020 दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-04-2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-05-2020 एवं शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29-09-2020 में निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रयोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

5- संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

7- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

8- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

9- आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

10- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत- इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देश एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर'212 में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

13- प्रश्नगत स्वीकृति मानक के संबंध में निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संबंधित योजना अधिकारी का होगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-243/दस/2021 दिनांक 15 मार्च, 2021 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

पृ.संख्या-14 /2021/ 127 /(1)/क.नि.प्र./26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

3- निदेशक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

4- जिलाधिकारी,बस्ती एवं सन्तकबीर नगर।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी बस्ती/सन्तकबीर नगर।

6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

7- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), बस्ती/सन्तकबीर नगर।

8- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरशन लि0 (सिडको) उ0प्र0 लखनऊ।

9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

राज रतन
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।